



समाज-सुधार आन्दोलन में हिन्दी की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का योगदान

डॉ.पंकज बिरमाल

अध्यक्ष हिन्दी विभाग

इंदौर क्रिश्चियन महाविद्यालय,

इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

मनुष्य समाज की उन्नति में समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके आचरण ने मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव जगाया है। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद होने के बाद यदि असत्याचरण का विस्तार हुआ तो उससे दुगुनी तीव्रता से अच्छाई भी फैली। समाज सुधारकों ने अपने विचार-प्रचार के साथ-साथ समाज में व्याप्त बुराईयों के ओर भी समाज के प्रबुद्धजनों का ध्यान आकर्षित किया। उन बुराईयों को विचारपूर्वक दूर करने में सहयोग दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में समाज सुधार आंदोलनों में साहित्यिक पत्रिकाओं के योगदान पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव 18वीं शती के अंत तक पड़ चुकी थी। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति और उसकी विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा। परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति का पतन होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे और भारतीय संस्कृति की अवहेलना का दौर शुरू हुआ। फलस्वरूप ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार तीव्रता के साथ होने लगा। बंगाल में इस विचारधारा का प्रचार-प्रसार अधिक था। परिणामस्वरूप 1857 में उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ हिन्दुओं ने ईसाई धर्म अपना लिया। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे सच्चे भारतीयों का उदय हुआ जिन्होंने अपने विवके से भारतीय संस्कृति पर हो रहे कुठाराघात को रोकने में विशिष्ट भूमिका निभाई। इस परिवर्तन के लिए उन्होंने पत्रकारिता को ही सर्वोच्च साधन माना। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं

में निम्न महत्वपूर्ण सुधारों की ओर समाज, सरकार एवं देश का ध्यान आकर्षित किया गया। शिशु हत्या का विरोध - भारत में शिशु-हत्या की कुप्रथा भी कहीं-कहीं थी, विशेषकर राजपूतों में, क्योंकि ये लोग अपनी कन्या के लिये उचित वर नहीं ढूँढ पाते थे और भविष्य में किसी अपमान को सहने की अपेक्षा वे कन्याओं की शैशवकाल में ही हत्या करवा देते थे। इस कुप्रथा को रोकने के लिए हिन्दी साहित्य की पत्र-पत्रिकाओं ने बड़ा योगदान दिया। निबंधों में इस कुप्रथा की निंदा की और समाज में इस कुप्रथा के विरुद्ध लोगों को निरूत्साहित किया।

बाल-विवाह पर रोकथाम - राजपूत, गुर्जर, जाट और अहीर आदि जातियों में जो लड़कियाँ निर्मम हत्या से बच जाती थी, उनका पाँच-दस वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता था।

माता-पिता को यह भय रहता था कि लड़की के बड़ी होने पर कहीं ऐसा न हो कि कोई कलंक उसके माथे पर बंध जाए या योग्य वर के अभाव में वह अविवाहित ही रह जाए। इस कुप्रथा को रोकने के लिए हिन्दी पत्रकारिता ने पुरजोर अभियान चलाया। 'आर्य दर्पण' नामक पत्र ने लिखा - "हिन्दू धन के लालच में अपनी अल्पायु वाली लड़की का विवाह अधिक आयु के पुरुष से करते हैं, अतः इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिये।"1 "सुधारवादी और उदारवादी पत्र-पत्रिकाओं 'हिन्दुस्तान और 'अल्मोड़ा अखबार' ने बाल-विवाह का खुले रूप में विरोध किया।"2 'हिन्दी-प्रदीप' ने इस विषय में लिखा कि, "कन्या की आयु 12 या 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 या 20 वर्ष होनी चाहिए।"3

विधवा-विवाह की प्रेरणा - 'समाज में बाल विवाह की कुप्रथा होने के कारण कई कन्याएँ यौवनकाल में ही विधवा हो जाया करती थीं और वे बेचारी वैधव्य के दुर्दिनों में एक यातनापरक जीवन जीती थीं। उसे एक समय ही खाना पड़ता था, जमीन पर सोना पड़ता था, सफेद कपड़े पहनना पड़ते थे, घर में सबसे अधिक काम करना पड़ता था और घर के किसी मांगलिक कार्य से दूर रहना पड़ता था। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया। 'कवि वचन सुधा' ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया। उसने विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को प्रारंभ करने के लिए सरकार से विशेष कानून बनाने के लिए आग्रह किया।4 'आर्य दर्पण' ने यह तर्क दिया कि जब विधुर् कितने ही विवाह कर सकते हैं, तो विधवा को यह अनुमति क्यों नहीं ?"5

दहेज-प्रथा उन्मूलन में योगदान - दहेज प्रथा भी भारत के लिए कलंक है, क्योंकि इस प्रथा से कन्या के पिता की कमर टूट जाती है। साथ ही 'कवि वचन सुधा' ने लिखा था - "ब्राह्मणों के इस वर्ग में लड़की का विवाह तक नहीं होता जब तक लड़की का बाप वर के बाप को दान के रूप में अच्छी धन-राशि न देता। इस प्रकार जिन लड़कियों के माँ-बाप निर्धन थे वे बुढ़ापे तक अविवाहित ही बैठी रहती। उनका जीवन वास्तव में कष्टमय और दयनीय है।"6

वैश्यावृत्ति का बहिष्कार - वैश्यावृत्ति भी समाज का एक कलंक है। यह एक देह व्यापार है। महिलाओं की निर्धनता भी इसका एक कारण है। हिन्दी पत्रिकाओं में लोगों को इस प्रथा से बचने के लिए प्रेरणाएँ दी।

अस्पृश्यता निवारण - अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक पुरातन कोढ़ है। महात्मा गांधी ने कहा था - "अस्पृश्यता को मैं धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ।" 'हिन्दी प्रदीप' ने लिखा - "यह प्रथा पूर्ण रूप से अनुचित और अन्यायपूर्ण थी क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं में बाधक थी।"7 लाला लाजपत राय ने आर्य समाज में लिखा था - "सब मनुष्य भाई-भाई हैं, स्त्री-पुरुष समान हैं, न्याय सबके लिए है, कर्म तथा योग्यता के आधार पर सभी को कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, प्रेम और श्रद्धा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए।"8

इस प्रकार हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने समय-समय पर समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

संदर्भ

1 आर्य दर्पण, मार्च 1881



2. हिन्दुस्तान, 26 सितम्बर तथा 'अल्मोड़ा बाजार' 27

सितम्बर 1886

3. हिन्दी प्रदीप, जून 1790

4. कवि वचन सुधा, 11 मार्च, 1878

5. आर्य दर्पण, अप्रैल 1892

6. कवि वचन सुधा, 21 मार्च 1877

7. हिन्दी प्रदीप, सन् 1876

8. लाला लाजपतराय, आर्य समाज, पृ. 136-137